# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री बृज मोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : पाली/आदेश/24/2017

1. श्रीमती सुन्दरबाई पत्नी हीरालालजी
2. श्रीमती कुकियाबाई पत्नी बंशीलालजी
3. शेषमल पुत्र चुन्नीलालजी
4. सुरेश पुत्र बंशीलालजी
5. बंशीलाल पुत्र चुन्नीलालजी
6. कस्तुबाई पत्नी चुन्नीलालजी
7. सीमा पत्नी सुरेशजी
8. चन्दाबाई पत्नी शेषमलजी
9. प्रकाश पुत्र बंशीलालजी
10. हीरालाल पुत्र चुन्नीलालजी बहैसियत स्वयं एवं आम मुख्तियार अपीलाण्ट संख्या 1 से 9 समस्त जातिगण तेली निवासीगण खिंवाड़ा तहसील रानी

..... अपीलार्थीगण

ब ना म

तहसीलदार महोदय, रानी

..... रेस्पोडेण्ट

उपस्थिति :–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित।
2. सरकारी पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 20/03/2020

1. उपरोक्त अपील धारा 225 राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत् अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रानी कैम्प कोर्ट खिंवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 59/15 में दिनांक 4.7.16 को तहसीलदार, देसूरी बनाम सुन्दरबाई में पारित निर्णय के विरुद्ध इस आशय की पेश की कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट्स के विरुद्ध धारा 177 राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत एक आवेदन दिनांक 13.7.11 को उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के न्यायालय में दर्ज किया जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलाण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया और उपरोक्त प्रकरण को वाद के रूप में दर्ज किया गया, तत्पश्चात् पत्रावली तलबी में नियत रही, दिनांक 7.5.12 को अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता भरतकुमार द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, तत्पश्चात् पत्रावली जवाबदावा हेतु नियत रही, अंतिम आदेशिका दिनांक 6.8.13 को उपखण्ड अधिकारी, देसूरी में पेशी नियत की गई, तत्पश्चात् बिना किसी नोटिस के ही पत्रावली नवसृजित उपखण्ड अधिकारी, रानी में अन्तरण करना बताया और उपखण्ड अधिकारी, रानी के न्यायालय से नोटिस जाने पर उपस्थिति हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में न तो दर्ज की गई, न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस दिया गया और सीधे ही जैर अपील आदेश द्वारा अपीलाण्ट संख्या 5 से 10 के विरुद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए भूमि को राजकीय सिवाय चक घोषित करने एवं बेदखली के आदेश पारित किए गए, जिसके विरुद्ध उपरोक्त अपील पेश की गई है।

2. अपील दर्ज कर रेस्पोडेण्ट को जरिए सम्मन तलब किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना नोटिस के ही पत्रावली को कैम्प में रखकर पत्रावली का निस्तारण किया है। पत्रावली में दिनांक 6.8.13 के बाद में कोई आदेशिका अंकित नहीं है और 6.8.13 के बाद में 3 वर्ष बाद सीधे ही दिनांक 4.7.16 को जैर अपील आदेश पारित करने की आदेशिका अंकित है, जिसकी सूचना पटवारी द्वारा दिनांक 15.2.17 को देने पर हुई, जिस पर 16.2.17 को नकलें प्राप्त कर अपील पेश की गई इसलिए अपील को अंदर मयाद शुमार की जावें, साथ ही मैरिट पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज करने बाबत कोई आदेशिका पत्रावली में नहीं है, न ही उपखण्ड अधिकारी, देसूरी से उपखण्ड अधिकारी, रानी के न्यायालय में पत्रावली अन्तरण करने की कोई आदेशिका अंकित

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

है। इसके अलावा अपीलाधीन निर्णय, जो कि आदेशिका में ही लिखा गया है, उसे देखने से ही प्रतीत होता है कि आदेशिका का आधे से अधिक भाग ऊपर का खाली रखा हुआ है ताकि उस पर बाद में पूर्व तारीखों की आदेशिका लिखी जा सके। इससे भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने कानून व नियमों के विपरित, बिना कोई दिमाग लगाए राज्य सरकार द्वारा लगाये गये अभियान कैम्प कोर्ट में अधिक से अधिक प्रकरण निस्तारित करने के उद्देश्य से बिना किसी आधार के ही उपरोक्त प्रकरण को निर्णित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो एब इनिसियो वॉईड होने से अपास्त योग्य है। जहां से निर्णय की आदेशिका शुरू होती है, वहां पर दिनांक 4.7.16 अंकित है तथा जहां निर्णय की आदेशिका समाप्त होती है, वहां पर "निर्णय आज दिनांक 30.5.16 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र खिंवाड़ा में सुनाया गया" उपरोक्त से ही स्पष्ट है कि ऊपर दिनांक अंलग अंकित है और नीचे दिनांक अलग अंकित है, जो यह स्पष्ट दर्शाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई माईन्ड एप्लाई किए ही अवैध रूप से उपरोक्त निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट संख्या एक से चार के विरुद्ध प्रकरण को ड्रोप करते हुए शेष अपीलाण्ट के विरुद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधितः निर्णय नहीं होकर आदेश की तारीफ में ही आता है। एक तरफ तो प्रथम आदेशिका में प्रकरण को वाद के रूप में दर्ज किया गया है, दूसरी तरफ प्रकरण को आवेदन के रूप में निर्णित किया गया है, जो स्पष्टतया प्रावधानों का उल्लंघन है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपरोक्त तथ्य उपलब्ध थे कि अपीलाण्ट संख्या पांच से दस की खातेदारी भूमि गांव गुड़ा ठाकुरजी के खसरा नम्बर 71/264 से 71/269 तक की कृषि भूमि को भूमिधारी अर्थात् वादी अर्थात् रेस्पोडेण्ट द्वारा आदेश दिनांक 5.2.13 द्वारा अलग–अलग भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करते हुए संपरिवर्तन का आदेश जारी कर दिया गया था। उपरोक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के ज्ञान में था, जिसका इन्द्राज अपीलाधीन आदेश में भी दर्ज है इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय में सम्पूर्ण कार्यवाही अर्थात् वाद/प्रार्थना–पत्र रेस्पोडेण्ट भूमिधारी तहसीलदार महोदय द्वारा दिया

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

गया है और उपरोक्त संपरिवर्तन आदेश भी उपरोक्त भूमिधारी तहसीलदार महोदय द्वारा बाद में पारित किया गया है ऐसी स्थिति में भूमि को आवासीय संपरिवर्तन करने के बाद में प्रकरण में किसी प्रकार का वाद कारण ही शेष नहीं रहता है ऐसी स्थिति में भूमिधारी तहसीलदार महोदय स्वयं द्वारा प्रकरण को वाद कारण के अभाव में निस्तारित करवाकर खारिज करवाना था, क्योंकि एक तरफ तो स्वयं तहसीलदार महोदय धारा 177 की कार्यवाही करते है और दूसरी तरफ उसी भूमि के बारे में पश्चात्वर्ती क्रम में संपरिवर्तन आदेश जारी करते है, जो स्पष्टतः दर्शाता है कि उपरोक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से, बिना माईन्ड एप्लाई किए ही निर्णित किया है, जो पूर्णरूपेण अवैध होने से अपास्त योग्य है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट्स को न तो विधिवत् नोटिस दिया, न ही साक्ष्य, सबूत, सुनवाई का अवसर प्रदान किया, सीधे ही जैर अपील आदेश पारित कर दिया, जो स्पष्टतया अवैध होने से अपास्त योग्य है।

4. सरकारी पैरोकार ने बहस में निवेदन किया कि प्रकरण पहले दर्ज हुआ है तथा संपरिवर्तन बाद में उपरोक्त मुकदमे के बचाव में करवाया गया है इस कारण से भूमि संपरिवर्तन का फायदा नहीं लिया जा सकता है और इस आधार पर प्रकरण समाप्त योग्य नहीं है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् आदेश पारित किया गया है एवं अपील मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। जहां तक धारा 5 मयाद अधिनियम के आवेदन का प्रश्न है, उसका कोई खण्डन रेस्पोडेण्ट की ओर से जवाब अथवा शपथ–पत्र के द्वारा नहीं किया गया है इसलिए आवेदन में वर्णित तथ्यों को नहीं माने जाने का कोई कारण नहीं है इसलिए धारा 5 का आवेदन स्वीकार करते हुए अपील अंदर मयाद शुमार की जाती है। जहां तक प्रकरण के मैरिट का प्रश्न है यह स्पष्टतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् से प्रकट है कि प्रकरण धारा 177 राज. टिनेन्सी एक्ट के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तहत पेश किया गया था, जिसे वाद में परिवर्तित किया गया है। प्रकरण पूर्व में उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के न्यायालय में पेश किया गया था, बाद में उपखण्ड कार्यालय, रानी सृजित होने से उक्त पत्रावली को रानी न्यायालय में अंतरित किए जाने से ही रानी न्यायालय द्वारा प्रकरण को निस्तारित किया गया है। पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका प्रस्तुत हुई है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, देसूरी की अंतिम आदेशिका दिनांक 6.8.13 की अंकित है, उसके बाद में सीधे दिनांक 4.7.16 की आदेशिका में उपरोक्त अपीलाधीन आदेश लिखा गया है और उक्त आदेश के अंतिम पेज पर निर्णय दिनांक 30.5.16 को को सुनाए जाने का उल्लेख है, जो अपने आप में ही आदेश को अवैध निर्णित किए जाने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि दिनांक 4.7.16 की आदेशिका में ही उससे एक माह पहले दिनांक 3.5.16 को आदेश कैसे पारित हो सकता है, समझ से परे है। इसके अलावा मुख्य तर्क यह है कि अपीलाण्ट संख्या एक से चार अर्थात् प्रतिवादी संख्या एक से चार के विरुद्ध प्रकरण ड्रोप किया गया, शेष के विरुद्ध अर्थात् प्रतिवादी संख्या पांच से दस के विरुद्ध वाद को स्वीकार करते हुए उनकी खातेदारी भूमि को सिवाय चक करने का आदेश पारित किया है, जबकि पत्रावली पर उपलब्ध रेस्पोडेण्ट तहसीलदार, रानी के द्वारा पारित संपरिवर्तन आदेश दिनांक 5.2.13 के द्वारा उपरोक्त प्रतिवादी संख्या पांच से दस की खातेदारी भूमि को भी संपरिवर्तित किया गया है और उसका राजस्व रेकर्ड में स्वयं भूमिधारी द्वारा ही आवासीय प्रयोजनार्थ अमल–दरामद भी किया गया है। उपरोक्त तथ्यों का सरकारी पैरोकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है और केवल मात्र यह कहा गया है कि उक्त संपरिवर्तन आदेश वाद प्रस्तुति के बाद किए गए हैं इस संबंध में न्यायालय का मत है कि प्रकरण भूमिधारी स्वयं द्वारा ही पेश किया गया है और आवासीय प्रयाजनार्थ संपरिवर्तन आदेश भूमिधारी द्वारा ही किए गए हैं ऐसी स्थिति में भूमिधारी द्वारा संपरिवर्तन किए जाने के बाद विधिक रूप से रेस्पोडेण्ट को उपरोक्त वाद चलाए जाने का अधिकार नहीं रहता है, क्योंकि मुख्य रूप से वाद ही इसी आधार पर किया गया है कि भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

का अकृषि आवासीय किया गया है और इस संबंध में आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश स्वयं भूमिधारी द्वारा ही पारित कर दिया गया है, उसके बाद हमारी राय में भूमिधारी को कोई वाद कारण प्राप्त नहीं रहता है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। अतः अपील स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 20/03/2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली (राज.)